



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273843  
CG-DL-E-25062026-273843

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3310]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

का.आ. 3444(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एन एच-11011/14/2024- एल ए (भा.2)]

उदित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2026

**S.O. 3444(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 21 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), shall come into force.

[F. No. NH-11011/14/2024-LA(Pt.2)]

UDIT AGRAWAL, Jt. Secy.